मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १२ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा ४-क का संशोधन.

३. धारा १० का संशोधन.

४. धारा १४ का संशोधन.

५. धारा १६-क का संशोधन.

६. धारा १८ का संशोधन.

७. धारा २९ का संशोधन.

८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १२ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ४ के खण्ड (दो), धारा ६ और धारा ७ के उपबंध १ अप्रैल, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध ८ जून, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

धारा ४-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४-क में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, एक बार में अधिकतम छह कलेण्डर मास की कालावधि के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.".

धारा १० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ड) के पश्चात्, उप-खण्ड (एक) में, अंक और शब्द "४ प्रतिशत की दर" के स्थान पर, अंक और शब्द "५ प्रतिशत की दर" स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (६) में, द्वितीय प्रभाग (डिवीजन) में, मद (दो) में, अंक और शब्द "४ प्रतिशत" के स्थान पर, अंक और शब्द "५ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१क ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१क झ) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट टेलीफोन, सेल्यूलर हैन्ड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और इस प्रकार क्रय किए गए टेलीफोन, सेल्यूलर हैन्ड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.";

(तीन) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, अंक और शब्द "४ प्रतिशत की दर से" के स्थान पर, अंक और शब्द "५ प्रतिशत की दर से" स्थापित किए जाएं.

धारा १६-क का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १६-क में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ के अधीन रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध दायित्वों के, जिसमें कर और ब्याज / शास्ति की बकाया शामिल है, राज्य सरकार की उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार निराकरण हेतु योजना बना सकेगी.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है—

(एक) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा संदर्भित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई, जो प्रबंधन के परिवर्तन के माध्यम से अधिग्रहण अथवा बी. आई. एफ. आर. द्वारा परिसमापन की सिफारिश के अनुसरण में परिसमापन के अधीन औद्योगिक इकाई के आधिकारिक परिसमापक से क्रय के पश्चात् पुनर्वासित किए जाने के लिए है या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के अधीन किसी वित्तीय संस्था, राज्य शासन के किसी निगम, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या मध्यप्रदेश वित्त निगम से क्रय की गई वृहद् / मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई;

(दो) राज्य में स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां जिनके मामले रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के समक्ष विचाराधीन हैं और बोर्ड उनके पुनर्वास के लिए पुनर्वास योजना तैयार कर रहा है या तैयार कर ली है;

(तीन) लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति के अधीन "मध्यप्रदेश लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना" स्वीकृत की गई है.".

धारा १८ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द "पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् एक हजार रुपये प्रतिदिन की राशि" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् पांच सौ रुपये प्रतिदिन की राशि" स्थापित किए जाएं.

धारा २९ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (५ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(५ग) इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किसी व्यापारी की किसी इकाई का कारबार उसी व्यापारी की किसी अन्य इकाई में समामेलित किया जाता है, और वह प्रत्येक ऐसी इकाई के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है तो ऐसे समामेलन की तारीख को समामेलित होने वाली इकाई द्वारा धारित माल, जिसमें प्लान्ट एवं मशीनरी शामिल है, का अंतरण समामेलित इकाई में हुआ समझा जाएगा और समामेलित इकाई ऐसे समामेलन की तारीख को असमायोजित रहने वाली आगत कर रिबेट का जमा लेने का हकदार होगी.".

८. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ३ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०१५-१६ के लिये विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु तथा कतिपय अन्य मामलों जैसे उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार रूग्ण और बंद औद्योगिक इकाईयों के शोध्यों के समापन के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाने थे तथा अधिनियम के कतिपय अन्य उपबंधों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ३ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जुलाई, २०१५.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ के द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी प्रस्थापना की जा रही है, जो इस प्रकार है:—

खण्ड ४ : इस खण्ड के उपखण्ड (दो) के अधीन वह रीति जिसमें आगत कर रिबेट समायोजित की जाएगी, विहित करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया जा रहा है.

उपरोक्त प्रस्थापना सामान्य स्वरूप की हैं.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

वर्ष २०१५-१६ के लिये विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जी द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु तथा कतिपय अन्य मामलों जैसे उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार रूग्ण और बंद औद्योगिक इकाईयों के शोध्यों के समापन के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाने थे तथा अधिनियम के कतिपय अन्य प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर उपरांत दिनांक ८ जून, २०१५ को अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया.

अब उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु विधेयक लाया जा रहा है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) से उद्धरण

धारा ४-क. अपील बोर्ड के आदेश.

. . . . . .

(३) धारा ४६ की उपधारा (६) के अधीन आवेदन पर, अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के गुणदोष पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिवस की कालावधि के लिए स्थगन आदेश पारित कर सकेगा और अपील बोर्ड, उस आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, व्यापारी द्वारा प्रत्येक छह कलैंडर मास या उसके भाग की कालावधि के स्थगन में वृद्धि के लिए, प्रथम अपील में आदेश पारित होने के पश्चात् व्यापारी से कुल अतिशेष देय के पांच प्रतिशत के समतुल्य रकम के भुगतान पर एक बार में अधिकतम छह कलैंडर मास की कालावधि के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.

. . . . . .

धारा १०. क्रय कर का उद्ग्रहण

(१) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो अपने कारबार के अनुक्रम में कोई ऐसा माल, जो अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से, जिसने धारा ११ के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प लिया है या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से, उन परिस्थितियों में, जिनमें कि ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर धारा ९ के अधीन कोई कर उस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय नहीं है, क्रय करता है, ऐसे माल के क्रय मूल्य पर कर चुकाने के दायित्वाधीन होगा, यदि उसके क्रय के पश्चात्,—

(क) उक्त अनुसूची के भाग-३ और भाग-३क में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय नहीं किया जाता है, किन्तु उसका विक्रय या व्ययन अन्य प्रकार से किया जाता है; या

(ख) उक्त अनुसूची के भाग-३ और भाग-३क में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल का,—

(एक) धारा १४ की उपधारा (१ख) के अधीन अधिसूचित माल से भिन्न धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित किए गए माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग या उपयोग किया जाता है और विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप से व्ययन किया जाता है, या

(दो) प्लान्ट, मशीनरी, उपस्कर तथा उनके पूर्जों के रूप में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण या वितरण में उपभोग या उपयोग किया जाता है, या

(ग) उक्त अनुसूची के भाग-३ और भाग-३क में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल का, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट किसी माल या धारा १४ की उपधारा (१ख) के अधीन अधिसूचित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या खनन में उपयोग या उपभोग के पश्चात्, विनिर्मित या प्रसंस्कृत या उत्खनित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन किया जाता है, या

(घ) उक्त अनुसूची के भाग-३ और भाग-३ क में विनिर्दिष्ट माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय नहीं किया जाात है, किन्तु उसका विक्रय या व्ययन अन्य प्रकार से किया जाता है; या

(ङ) उक्त अनुसूची के भाग-३ और भाग-३क में विनिर्दिष्ट माल का, माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या खनन में उपयोग या उपभोग किया जाता है;

और ऐसा कर,—

(एक) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट माल के संबंध में, ४ प्रतिशत की दर या अनुसूची-२ के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट दर से, जो भी कम हो; और

(दो) खण्ड (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट माल के संबंध में, अनुसूची २ के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट दर से, उद्ग्रहीत किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट दर ऐसी दर होगी, जिस पर मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर ऐसे क्रय की तारीख को कर उद्ग्रहीत किया गया होता.

. . . . . .

धारा १४. आगत कर की रिबेट.

(१) उपधारा (५) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,—

(क) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के भाग-३ और भाग-३ क में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल, जो अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट है, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात्,—

(१) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय, या

(२) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय हेतु अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या खनन के लिए / में उपभोग या उपयोग; या

(३) अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल की पैंकिंग में पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग; या

(४) अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में प्लांट, मशीनरी, उपस्कर तथा उनके पुर्जे के रूप में उपयोग; या

(५) भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय हेतु धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या पैकेजिंग के लिए / में उपभोग या उपयोग; या

(५क) धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित माल के, ऊपर उपखण्ड (५) में उल्लिखित से भिन्न विनिर्माण या प्रसंस्करण या पैकेजिंग के लिए / में, और विक्रय के संबंध में, उपभोग या उपयोग; या

(५ख) प्लांट, मशीनरी, उपस्कर तथा उनके पुर्जों के रूप में विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण या वितरण के लिए / में उपभोग या उपयोग; या

(६) (एक) ऐसे **माल;** या

(दो) ऐसे **माल** से विनिर्मित या प्रसंस्कृत या उत्खनित माल, जो अनुसुची-२ में विनिर्दिष्ट है, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन, के लिये क्रय करता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट,—

(एक) उपखण्ड (१), (२), (३), (४) और (५) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में; और

(दो) उपखण्ड (५-क), (५-ख) और (६) में निर्दिष्ट माल के संबंध में, जो ऐसे माल के क्रय मूल्य, आगत कर को छोड़कर के ४ प्रतिशत से अधिक है,

का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

. . . . . .

. . . . . .

(१कज) . . . . . .

. . . . . .

(५) (क) (एक) जब किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने आगत कर की रिबेट का दावा करते हुए अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे समायोजन किया है, तब ऐसा व्यापारी,

(क) माल, या

(ख) माल से विनिर्मित या प्रसंस्कृत या उत्खनित माल, जो अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट है, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के रूप से अन्यथा व्ययन की दशा में, आगत कर की राशि या ऐसे माल के क्रय मूल्य, आगत कर को छोड़कर, के **४ प्रतिशत्** की दर से ऐसी राशि, इनमें से जो भी कम हो, चुकाने का दायी होगा, जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के संबंध में आगत कर की रिबेट उसके द्वारा समायोजित की गई थी.

. . . . . .

धारा १६-क. व्यावृत्ति.

. . . . . .

(२) निरसित अधिनियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो एक औद्योगिक इकाई है और वह राज्य में स्थापित किसी औद्योगिक इकाई के संबंध में उद्यमी को प्रोत्साहन देने का उपबंध करने वाली किसी ऐसी स्कीम के अधीन, जो कि राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, कर के आस्थगित भुगतान की सुविधा पाने के लिए पात्र है, वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व की ऐसी कालावधि से संबंधित और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, कर का आस्थगित भुगतान कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार, किसी औद्योगिक इकाई द्वारा कर के आस्थगित भुगतान की सुविधा से संबंधित किसी अधिसूचना को, जो इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम की धारा ८० के साथ पठित धारा ३७ या अधिनियम क्रमांक ५ सन् १९९५ द्वारा निरसित अधिनियम क्रमांक २ सन् १९५९ की धारा ५१ के साथ पठित धारा २२-घ के अधीन जारी की गई है, अधिसूचना द्वारा संशोधित कर सकेगी;

और इस प्रयोजन के लिए यही और सदैव यही समझा जाएगा कि इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम की धारा ३७ और धारा ८० या अधिनियम क्रमांक ५ सन् १९९५ द्वारा निरसित अधिनियम क्रमांक २ सन् १९५९ की धारा २२-घ और धारा ५१ के उपबंध ऐसे आस्थगन या संशोधन के प्रयोजन के लिए पुनः प्रवर्तित हो गए हैं.

धारा १८. विवरणियाँ.

. . . . . .

(४) (क) यदि उपधारा (१) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यापारी,—

. . . . . .

(घ) जहां,—

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) के अधीन व्यतिक्रम करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई कर देय नहीं है, या

(दो) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान समय पर करने के पश्चात् समय पर विवरणी देने में असफल रहता है,

तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् एक हजार रुपये प्रतिदिन की राशि शास्ति के रूप में चुकाये.

. . . . . .

धारा २९. कारबार के हस्तांतरण या बंद करने की दशा में कर का भुगतान तथा समामेलन या निर्विलयन की दशा में कंपनी का दायित्व.

(५ख) धारा १४ में अंतर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी, जब किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के कारबार का स्वामित्व पूर्णतः हस्तांतरित किया जाता है या जब न्यायालय या केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा, दो या अधिक कम्पनियों का समामेलन होता है या किसी कम्पनी का निर्विलयन होता है, तो अंतरिती, समामेलित कम्पनी या निर्विलयित (डीमर्ज्ड) कम्पनियां, उक्त अंतरण या समामेलन या निर्विलयन के आदेश की तारीख की असमायोजित रहने वाली आगत कर रिबेट का जमा लेने का हकदार होगी.

. . . . . .

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.